कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक : न.नि.अ/2018–19/एम.बी./291

दिनांक :– 1/5/18

1. श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी पुत्र श्री रामचन्द्र
   निवासीः– म.नं. 62 गली नं. 02
   चौधरी कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर।
2. श्री गुरनामल पुरस्वानी पुत्र स्व. श्री पेसूमल जी
   निवासीः– म.नं. 333/15 सतगुरु मौहल्ला,
   खारी कुई, अजमेर।

विषय :– **एक आवासीय भूखण्ड/सम्पति जो खसरा नम्बर 547, 550, 555, 557 व 558 का भाग है जो वाकै राजस्व ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है** जिसका क्षेत्रफल 2882.56 वर्गगज पर बहुमंजिला आवासीय मानचित्र स्वीकृति हेतु अदैय प्रमाण पत्र बाबत् ।

प्रंसग :– आपका आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र पर निम्न शर्तो के साथ बहुमंजिला आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु अदैय प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैः–

1. किसी भी न्यायालय अथवा बाद मे या अन्यथा रूप से कि भी प्रकार के हक के सृजन की कोटि में इस भूखण्ड/मकान के स्वामित्व के साक्ष्य के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नही किया जा सकेगा।
2. स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण किये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को निगम द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया। समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
3. संलग्न मानचित्र अनुसार Basement + Stilt Floor (पार्किग+व्यावसायिकहेतु) + Ground Floor to Eleven Floor (48 अधिकतम मीटर ऊचाई) तक निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।
4. भूतल का निर्माण होने पर नगर निगम को सूचित करना होगा एवं नगर निगम द्वारा जॉच उपरान्त निर्माण सही पाये जाने पर अग्रिम निर्माण किया जा सकेगा।
5. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। नगर निगम किसी भी स्थिति मे इसके लिये जिम्मेदार नही होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वस्तुविद्/अभियंता की देख रेख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबधित वास्तुविद् व स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. भवन की संरचना भूकम्परोधी होना आवशयक है इस संम्बध में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. स्वीकृत मानचित्र मे दर्शित इनफारमल फॉमर्शियल का निर्माण कर निगम को सूचित करना होगा। तथा इस बाबत् राज्य सरकार द्वारा जनसाथी रोजगार योजना में निर्धारित नियमों/शर्तो की पालना करनी होगी।
8. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये पेड लगाने होगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये कम से कम वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक ऊंचाई ग्रहण वाले वृक्ष लगाने होगे।
9. समय–समय पर राज्य सरकार नगर निगम द्वारा जारी नियमो/आदेशो की पालना करनी होगी।
10. आवेदक/प्रार्थी आवेदित भूमि के भवन निर्माण मानचित्र के संबंध में सभी प्रकार के शुल्क देय राशि नियमानुसार जमा करवाएगा तथा भविष्य में यदि कोई राशि बकाया निकलती है, तो आवेदक उक्त बकाया राशि जमा कराने हेतु उत्तरदायी/बाध्य होगा।

D:\bhawan section\noc yello 250 se uppar - Copy.docx

11. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जल स्तर बढाने हेतु रनवाटर इार्वेस्टिंग व्यवस्था का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।

12. बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने के कारण भवन विनियम, 2015 के अनुसार सौर उर्जा एवं अन्य बहुमंजिले भवन हेतु आपेक्षित प्रावधान रखने होगे।

13. **आर्किटेक्ट को हिदायत दी जाती है कि नक्शा स्वीकृत करने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार नक्शे की जांच कर नक्शा स्वीकृत करें गलत नक्शा स्वीकृत करने पर आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।**

14. **प्रार्थी को अदैय प्रमाण–पत्र जारी करने की दिनांक से पन्द्रह दिवस में सम्बन्धित आर्किटेक्ट से नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। बाद मियाद गुजरने के बाद जारी अदैय प्रमाण–पत्र शून्य माना जायेगा।**

15. **पंजीकृत तकनीकीविद का यह भी दायित्व होगा कि भवन निर्माण पूर्ण होने तक यदि कोई अवैध निर्माण किया जाता हैं तो समय समय पर नगर निगम को सूचित करेगा।**

16. आप द्वारा नगर निगम में रसीद संख्या 3975/9051, 3976/9051, 3977/9051, 3978/9051 पुस्तक संख्या, दिनांक 30.04.2018 द्वारा राशि निगम कोष में जमा करा दी हैं :–

(1)	मानचित्र अनुमोदन शुल्क	:–	1,06,367/–
(2)	मलबा शुल्क	:–	5,000/–
(3)	बी.एस.यू.पी. शुल्क	:–	21,638/–
(4)	भवन पूर्णता शुल्क	:–	1,06,435/–
(5)	अग्निशमन शुल्क	:–	5,40,950/–
(6)	व्यावसायिक शुल्क (Stlit पर)	:–	6,18,315/–
(7)	अतिरिक्त बी.ए.आर शुल्क	:–	13,74,092/–
	कुल राशि	:–	**27,72,797/– रूपये**

आवेदक द्वारा श्रम विभाग में श्रम कर की राशि चैक नं. 229603 दिनांक 26.04.2018 को राशि 3,85,650/–रू. जमा करा कर प्राप्त की रसीद प्रस्तुत कर दी है।

उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

MANISH MAHESHWARI

Approved Architect From UIT & Municipal Council, Ajmer
Approved Valuer from Banks & Financial Institutions

Adjining CBSE Board, Todarmal Marg, Ajmer
Mob. No. 9414004380, 0145-2631330

कमांक :

M.B. No. ..291....... **Dt.** 01-05-18

नाम : श्री कन्हैयालाल पुरस्वानी S/o श्री रामचन्द्र
निवासी वैशाली नगर, अजमेर
श्री घुघनामल पुरस्वानी S/o स्व. श्री पेसूमल जी
निवासी - खारी कुई, अजमेर

विषय :..KH. NO. 547, 550, 555, 557, व 558, ग्राम, कोटड़ा, अजमेर,
मौहल्ले में आवासीय / ~~व्यावसायिक~~ निर्माण स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भ : आपका आवेदन पत्र दिनांक 28-03-18

1. उक्त स्वीकृति 7 वर्ष के लिये मान्य होगी।
2. 300 वर्गमीटर व इससे अधिक के भूखण्डों में वर्षा के पानी द्वारा भू–गर्भ का जल स्तर बढ़ाने ळेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना/टांका का निर्माण आवश्यक रूप से करके निगम को सूचना देनी होगी।
3. आपको भूखण्ड में 02 वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक की उँचाई ग्रहण कर सकते हैं,लगाने होगें।
4. अनुज्ञा प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर अथवा कार्य प्रारम्भ करने के छः माह के अन्दर जो भी कम हो, आपको भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आशय की सूचना निगम को देनी होगी।
5. आवेदक द्वारा भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्त अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्त्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
6. भवन विनियम, के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनूज्ञाधारी की होगी।
7. स्वीकृत प्लान के विरूद्ध निर्माण किये जाने एवं भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लघंन होन पर निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जाकर, निगम अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत अवैध निर्माण को निगम द्वारा धवस्त किया जा सकेगा, जिसका समस्त व्यय आवेदनकर्त्ता को ही वहन करना होगा।
8. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्त्ता दोषी माना जायेगा।
9. उपरोक्त स्वीकृति मात्र निर्माण कार्य हेतु जारी की जा रही है। यह स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है, किसी न्यायालय अथवा वाद में इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त (विकास) नगर निगम अजमेर को स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

MANISH MAHESHWAR
B.E.(Civil
MAHESHWARI TECHNOCRATES
Nr.UIT, Todarmal Marg, Ajme
+91-94140-04380,9214909830(M